



# उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

**Uttarakhand Power Corporation Ltd.**

(A Govt. of Uttarakhand Undertaking)

CIN : U40109UR2001SGC025867

Email ID: hr@upcl.org, Website: www.upcl.org

संख्या 2398 -नि०(मा०सं०)/उपाकालि/अनु०ए०

दिनांक 14/07/2022

## कार्यालय-ज्ञाप

उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 1763/1(2)/2022-06(2)-08/2002 दिनांक 02.01.2023 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुक्रम में, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि० की 110वीं निदेशक मण्डल की बैठक दिनांक 20.06.2023 में प्रस्तुत एजेण्डा आईटम संख्या 110.15 में निदेशक मण्डल द्वारा लिए गये निर्णय तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 10 सपठित उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि० के संगम अनुच्छेद (Articles of Association) के अनुच्छेद 49 एवं अनुच्छेद 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि० के स्टाफ स्ट्रक्चर में आतिथि तक स्वीकृत अधिशासी निदेशक के पदों पर चयन किये जाने के सम्बन्ध में एतद्वारा निम्नलिखित नियमावली कारपोरेशन में प्रख्यापित की जाती है:-

### उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि० के स्टाफ स्ट्रक्चर में स्वीकृत अधिशासी निदेशकों के चयन हेतु नियमावली

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड में अधिशासी निदेशकों (पे बैंड रू० 37400-67000 + ग्रेड पे रू० 11500) (Pay Matrix Level - 17) के पदों को वरीयता सूची के आधार पर चयन कर प्रोन्नति से भरने हेतु निम्न प्राविधान किये जाते हैं :-

- |                              |                                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| क- नियमावली का नाम           | - अधिशासी निदेशकों के चयन हेतु नियमावली                                                     |
| ख- भरे जाने वाले पदों का नाम | - अधिशासी निदेशक                                                                            |
| ग- भर्ती का स्रोत            | - मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक के पद से पदोन्नति के माध्यम से।                                |
| घ- योग्यता एवं अनुभव         | - मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक पद पर पदस्थापित होने के साथ कुल 20 वर्षों से अधिक का अनुभव हो। |

### ड.- पात्रता/अर्हता :

1. अधिशासी निदेशकों के पदों के लिये चयन, कार्यरत ऐसे मुख्य अभियन्ताओं/महाप्रबन्धकों में से किया जायेगा जिन्होंने Applicable Discipline में चयन वर्ष की 01 जुलाई को कम से कम 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा वार्षिक गोपनीय आख्याओं में मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक के स्तर पर 70 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक अर्जित किए हों।
2. अभ्यर्थी के विरुद्ध किसी प्रकार की सतर्कता/अनुशासनात्मक कार्यवाही लम्बित/विचाराधीन न हो।

### च- चयन समिति के सदस्य :

1. अध्यक्ष, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
2. अपर सचिव(ऊर्जा), उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
4. प्रबन्ध निदेशक द्वारा नामित एक पूर्ण कालिक निदेशक।
5. प्रबन्ध निदेशक द्वारा नामित अनुसूचित जाति/जनजाति का प्रतिनिधि।
6. महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक(मा०सं०) - संयोजक।

छ- चयन का आधार :

चयन समिति seniority cum merit पद्धति से समग्र (overall) मूल्यांकन के आधार पर पदोन्नति हेतु चयन की कार्यवाही करेगी।

उपरोक्त नियमावली उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि० के स्टाफ स्ट्रक्चर में आतिथि तक स्वीकृत सभी अधिशासी निदेशकों के चयन हेतु निदेशक मण्डल द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन की दिनांक 20.06.2023 से प्रभावी होगी।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,

संख्या 2398 -नि०(मा०सं०)/उपाकालि/अनु०ए० तददिनांक 14.07.2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निजी सचिव, सचिव(ऊर्जा), उत्तराखण्ड शासन को सचिव(ऊर्जा) महोदय के संज्ञानार्थ।
- 2- वरिष्ठ अधिशासी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, उपाकालि, वि०क्रा०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
- 3- निजी सचिव, समस्त निदेशक, उपाकालि, वि०क्रा०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
- 4- कट फाईल।

  
[अनिल कुमार]  
प्रबन्ध निदेशक

